संख्या: 85/2021/1363565/12-2099/86/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 16 नवम्बर, 2021

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की समय से व्यवस्था किए जाने हेतु कालाबाजारी, तस्करी, टैगिंग एवं अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यो/औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपयोग को रोके जाने एवं उर्वरकों की बिक्री शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 65/2021/1363565/12-2099/86/2021-एफ.42/2001 दिनॉक 29 सितम्बर, 2021, सचिव, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 21-3-/2018-एफएम दिनॉक 09 नवम्बर, 2021 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 23011/16/2021-पी एण्ड के0 दिनॉक 11 नवम्बर, 2021 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 29 सितम्बर, 2021 द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा चिन्हित उत्पाद के निर्माण में उपयोग हेतु अनुदानित उर्वरकों का नाइट्रोजनिस कम्पाउण्डस तथा टेकनिकल ग्रेड यूरिया या फार्मेल्डीहाइड यूरिया के स्थान पर डायवर्जन कर रॉ-मैटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण इन इकाईयों को रॉ-मैटेरियल की प्राप्ति श्रोत की गहन जांच किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यो/औद्योगिक इकाईयों में डायवर्जन को रोकने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग के द्वारा उपरोक्त चिन्हांकित औद्योगिक इकाईयों, जिनके द्वारा अपने उत्पादों के निर्माण में टेकनिकल ग्रेड यूरिया या फार्मेल्डीहाइड यूरिया का प्रयोग किया जाता है, की सूची तैयार की जाए।

(ii) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद में उपरोक्त चिन्हित स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा (टी0जी0यू0) टेकनिकल ग्रेड यूरिया एवं फार्मेल्डीहाइड यूरिया के श्रोत प्राप्त की गहनता से जांच की जाये तथा यदि किसी औद्योगिक इकाईयों द्वारा अनुदानित यूरिया का उपयोग अपने उत्पादों के निर्माण में किया जाना पाया जाता है तो उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियंत्रण) आदेश,1985, आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 की संगत धाराओं एवं अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये जिससे अनुदानित यूरिया का औद्योगिक इकाईयों द्वारा दुरूपयोग किए जाने पर नियंत्रण रखा जा सके।

(iii) जनपदों में समय-समय पर पड़ने वाले उर्वरक छापों के दौरान उर्वरक बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ उपर्युक्तानुसार चिन्हित औद्योगिक इकाईयों का जनपद में गठित टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया जाए।

4. उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुदानित उर्वरकों की शतप्रतिशत बिक्री प्रत्येक दशा में पी0ओ0एस0 के माध्यम से ही की जाए। पोर्टल/पी0ओ0एस0 मशीन के अनुदान जिन उर्वरक

रिटेलर्स के पास विगत तीन माह से उर्वरकों का स्टाक उपलब्ध है, परन्तु बिक्री शून्य है, की सूची पोर्टल से प्रिन्ट निकाल कर तत्काल उस स्टाक का भौतिक सत्यापन कराते हुए बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 85/2021/1363565(1)/12-2099/86/2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उर्वरक, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 21-2/2018-एफ0एम0 दिनॉक 09 नवम्बर, 2021 के सन्दर्भ में।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in